बिहार विधान सभा

कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा
एकादश सत्र

बुधवार, तिथि 28 फरवरी, 2024 ई०
09 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. श्री अजय कुमार सिंह, श्री विजय शंकर दूबे एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [ऊर्जा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

[दिनांक 22 एवं 23 फरवरी, 2024 से स्थगित]

3. श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती मीना कुमारी एवं श्रीमती शीला कुमारी, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [परिवहन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

4. श्री भाई वीरेन्द्र, श्री गोपाल रविदास एवं श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [खान एवं भूतत्व विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा जाना ।

6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''

7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

8. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश: 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें ।''

9. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश: 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमश: चार, छ: एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

10. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना ।

11. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न–विराम (01.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024''

12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि ''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

13. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे ।

14. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि ''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024'' पर विचार हो ।

15. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि ''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024'' स्वीकृत हो ।

16. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1045 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/2/24
(राजीव कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1045 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव / माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय नेता विरोधी दल के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/2/24
(राजीव कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1045 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/2/24
(राजीव कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1045 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

27/2/24
(राजीव कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1045 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशकगण/ संयुक्त निदेशक/ उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

27/2/24
(राजीव कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।